फैक्स / तत्काल

संख्या– 950 / 1–11–2017– 14(जी) / 2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, खीरी, मऊ, मिर्जापुर, बदायूँ, देवरिया, सीतापुर, बिजनौर, फैजाबाद, पीलीभीत, फर्रूखाबाद, बस्ती, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, बलरामपुर, संतकबीर नगर, गाजीपुर।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनॉक 21 अगस्त, 2017

विषयः–बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–32–7 / 2014–एन0डी0एम0–प्रथम, दिनॉक 08.04.2015 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार बाढ़ से सुरक्षित बचाकर राहत कैम्पों में लाये गये व्यक्तियों (शरणार्थियों) एवं जो व्यक्ति राहत कैम्पों में नही रह रहे है यथा तटबन्धों, मैरूण्ड (Marooned) गांव आदि में रह रहे है तथा जिनकी आजीविका बाढ़ से गम्भीर रूप से प्रभावित हैं, उनके लिए विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु अधिकतम 30 दिन के लिए प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार उक्त आदेश में पशु कैम्पों में चारा / पशु सन्तुलित आहार के अतिरिक्त पानी और दवाओं को अधिकतम 30 दिन के लिए दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अहैतुक सहायता रू0 60 प्रति वयस्क तथा रू0 45 प्रति अवयस्क 30 दिन तक उपलब्ध करायी जा सकती है।

2. उपर्युक्तानुसार बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार (05 व्यक्ति औसत) हेतु खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री बोरा / पैकेट / डिब्बा में व्यवस्थित कर **प्रति परिवार को 10 किग्रा0 आटा, 10 किग्रा0 चावल, 10 किग्रा0 आलू, 05 किग्रा0 लाई, 02 किग्रा0 भूना चना, 02 किग्रा0 अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 लीटर केरोसिन, 01 पैकेट मोमबत्ती, 01 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्कुट, 01 लीटर रिफाइन्ड तेल एवं 10 टेबलेट क्लोरीन कुल अदद 16 प्रकार की राहत सामग्री वितरित करायी जाय। उक्त सामग्री 01 सप्ताह के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।**

3. इसी प्रकार पशु कैम्प अथवा तटबन्ध / मैरूण्ड (Marooned) ग्राम में प्रभावित पशुओं के लिए भी चारे के रूप में 5 किग्रा0 भूसा प्रति दिन प्रति पशु पृथक से दिया जाय।

4. प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर वितरित कराया जाय जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो तथा सामग्री सुरक्षित रहे।

5. राहत सामग्री के क्रय किये जाने में सामग्री की उच्च गुणवत्ता तथा वित्तीय नियमों व भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. जिले में खाद्यान्न एवं राहत सामग्री वितरण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, जिसमें भविष्य में एकरूपता लाने तथा कार्य को त्वरित गति से सम्पन्न करने हेतु यह व्यवस्था प्रतिपादित की जा

Scanned by CamScanner

रही है। प्रारम्भ में उक्त खाद्यान्न व राहत सामग्री प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को 48 घण्टे के अन्दर अभियान चलाकर वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। तत्पश्चात बाढ़ की स्थिति के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को अग्रेत्तर नियमानुसार लाभान्वित किया जाता रहेगा।

7. राहत सामग्री के क्रय, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण का कार्य जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्ययोजना के अनुसार टीम बनाकर सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वितरित की गयी राहत सामग्री तथा लाभार्थी परिवार का पूर्ण विवरण जिला स्तर पर रखा जायेगा तथा उसे प्रतिदिन राहत के ईमेल rahat@nic.in पर प्रेषित किया जायेगा।

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा खाद्यान्न व राहत सामग्री एवं चारे के वितरण के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या एवं तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5– सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि वे भी अपने स्तर से व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करेगे।
6– निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0।
8– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रंजन कुमार)
सचिव।

2 Noting-R-11-r-2017

Scanned by CamScanner